न्यायालय न्याय निर्णयन् अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जालोर

पीठासीन अधिकारी   श्री छगनलाल गोयल,
आर.ए.एस.

परिवाद संख्या   7/2015

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीः–
सरकार जरिये श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर हाल पाली		मालिक व विक्रेता भागीरथ विश्नोई पुत्र श्री नारायणसिंह मैसर्स मावा भट्टा चितलवाना, सेवाडा रोड(लालाराम का खेत),सुनारो का टांका, चितलवाना, जिला जालोर निवासी–कावो की बेरी,सेहिला, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाडमेर।

अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफएसएसए एक्ट 2006 विनियम 2011

उपस्थिति :–
1.प्रार्थी पैरोकार की ओर से श्री गजेन्द्रकुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
2.श्री जगदीश गोदारा, अभिभाषक,अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय   दिनांक 29.3.2019

1. प्रार्थी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पन्न कर रहे है और प्रार्थी (दिलीपसिंह) को राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन एच/पीएफए/ नोटिफिकेशन/ 2011/ 440 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राज. जयपुर के आदेश कमांक 775/10.8.11 के अनुसार प्रार्थी(दिलीपसिंह) को कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर आवंटित किया गया था अब वे पाली में कार्यरत है। कमांक शासन उप सचिव,कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर जारी अधिसूचना कमांक/प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 5.4.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटो को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अधिनस्थ कार्यक्षैत्र के लिए न्याय निर्णयन् अधिकारी नियुक्त किया गया है।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि पप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दिनांक 26.10.14 को पुलिस थाना चितलवाना से मिली सूचना पर दोपहर 1.00 पी.एम. पर मावा भट्टा चितलवाना -सेवाडा रोड (लालाराम का खेत),सुनारो का टांका,चितलवाना पहुंचने पर वहां पर मौजूद भागीरथ विश्नोई पुत्र श्री नारायणसिंह मिला जिसको प्रार्थी ने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया। भागीरथ से नाम व पता पूछने पर विक्रेता व मालिक होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ वर्ष 2014 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने का कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने नही होना जाहिर किया। प्रार्थी-खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व मालिक भागीरथ विश्नोई एवं उपस्थित पुलिस गवाहान् की उपस्थिति में मकान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्लास्टिक तगारी में लगभग 10-12 किलो मीठा मावा रखा हुआ है जो कि विक्रेता ने बताया कि आमजन को बिकी वास्ते है जिसमें मिलावट का शक होने पर समक्ष पुलिस गवाहान् के सामने प्रपत्र-5 ए भरकर दिया, प्रपत्र 5-ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की जिस पर प्रार्थी, पुलिस गवाहान् व विक्रेता के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5 ए देने से पहले प्रार्थी ने विक्रेता को बता दिया था कि मीठा मावा का नमूना वास्ते एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत जांच हेतु ले रहा हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मालिक व विक्रेता व पुलिस गवाहान् की उपस्थिति में मीठा मावा में से दो किलोग्राम मावा वास्ते जांच हेतु एक साफ सूखा एवं खाली स्टील की भगोनी में लिया जिसकी किमत विक्रेता को 400 रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर प्रार्थी व मालिक तथा उपस्थित पुलिस गवाहान् के हस्ताक्षर है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मालिक व विक्रेता तथा पुलिस गवाहान् को कांच की चार साफ सूखी एवं खाली शीशी दिखाकर उक्त खरीदसुदा मीठा मावा को चार बराबर-बराबर भागो में बांटकर चारो साफ सूखी एवं खाली शीशी में डाला ,प्रत्येक शीशी में 40-40 बूंद फार्मलिन की बतौर प्रीजरवेटिव डाली गई। इन चारो नमूना शीशी को ढक्कल से एयर टाईट बन्द किया। विक्रेता व गवाहान् की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये गये जिस पर डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कोड व सिरियल नम्बर 0-472 लिखा व अन्य विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व पुलिस गवाहान् के हस्ताक्षर करवाये तथा प्रार्थी स्वयं ने भी किये। उक्त तैयार लेबल में से एक-एक लेबल प्रत्येक नमूना शीशी पर गोंद से चिपकाया । प्रत्येक नमूना शीशी को अलग -अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना शीशी पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर की हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप, कोड व कमांक 0-472

गोंद से नियमानुसार चारो नमूना शीशी के मुंह से पैंदे की ओर चिपकाई तथा प्रत्येक नमूना शीशी को नियमानुसार धागे से बांध कर चार जगह चपडी से सीलबंद सीलमुहर किया, एक सील नमूना शीशी के मुंह पर ,एक सील पैंदे पर ,दो जगह नमूना शीशी की बॉडी पर,जहां पर धागे की गांठ लगाई, पर चपडी लगाकर सीलबन्द व सील मुहर किया, जिस पर विक्रेता व पुलिस गवाहान् के हस्ताक्षर नियमानुसार पेपर स्लिप व खाकी कागज को कोस करते हुए हस्ताक्षर किये एवं स्वय प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये । नियमानुसार नमूना लेकर चारो सीलबन्द नमूना शीशी को अपने जाब्ते में लिया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं पुलिस गवाहान को पढकर,सुनाकर ,हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढकर,सुनकर एवं समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये । खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहूंचकर फार्म न.6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक नमूना पर सील लगाई जिससे नमूना सील की थी । एक नमूना मय फार्म नं.6 की एक प्रति आउटर कंवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, दो फार्म नं.6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर ,चपडी से सील मोहर कर के प्रार्थी स्वयं द्वारा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर राज. को दिनांक 17.10.2014 को देकर रसीद प्राप्त की। दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूना का चौथा भाग मय फार्म नं.6 की प्रतियां आउटर कंवर में चपडी से सील बन्द कर ,सील मोहर कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर को प्रार्थी ने दिनांक 27.10.14 करे जमा कराकर रसीद प्राप्त की । प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर के पत्र कमांक/एफएसएसए /2014/0–472 दिनांक 3.12.2014 के द्वारा जांच रिपोर्ट संख्या एल एस /751/एक्ट /2014/770दिनांक 21.11.2014 के द्वारा मालूम हुआ कि प्रार्थी द्वारा लिया गया मीठा मावा का नमूना Sub-standards पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा विक्रेता भागीरथ को पत्र कमांक:एफएसएसए/ 2014/ 0–472 दिनांक 3.12.14 से उक्त मूल जांच रिपोर्ट भेजी। प्रार्थी द्वारा सभी दस्तावेजात् डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर को दिनांक 19.2.15 को आवश्यक कार्यवाही हेतु पेश किये गये। डी.ओ. व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर ने उक्त मूल पत्रावली का अध्ययन के बाद पत्र कमांक/ एफएसएसए/ 2015/884 दिनांक 26.2.15के द्वारा प्रार्थी को उक्त कैस, न्याय निर्णयन् अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त मालिक व विक्रेता भागीरथ पुत्र श्री नारायणसिंह विश्नोई ,निवासी कांवो की ढेरी, रामहेला तहसील धोरीमन्ना,जिला बाडमेर,मैसर्स मावा भट्टा चितलवाना सावाडा रोड(लालाराम का खेत) सुनारो का टांका , चितलवाना , जिला जालोर ने

Sub Standards मीठा मावा का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2)का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है ।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, नमूना खरीद बिल असल, फार्म नं.5ए असल,मौका फर्द रिपोर्ट असल, फार्म नं.6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुश्त पर),खाद्य विश्लेषक जोधपुर द्वारा खाद्य नमूना संख्या 0–472की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना 0–472 की जमा रसीद, मु.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर का पत्र क्रमांक एफ एसएसए/ 2014/ 0–472दिनांक 21.11.14मय खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जांच रिपोर्ट मूल,आदि कागजात् प्रस्तुत किये है।

4. खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 3.3. 2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत् नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 7.4.2015 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके वकील उपस्थित आये जिन्होने अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया।

5. साक्ष्य सरकार सं.1–श्री दिलीपसिंह,खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर हाल–पाली के बयान दिनांक 7.11.2017को एवं साक्ष्य सरकार सं.2–श्री राजेन्द्रकुमार 136,पुलिस थाना चितलवाना के बयान दिनांक 18.7.2018 को लिये गये। शेष साक्ष्य सरकार गौण होने से बयान लेना उचित नही समझते है।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया एवं परिवाद में वर्णित तथ्यों तथा इसके साथ संलग्न दस्तावेजात्, साक्ष्य सरकार सं.1 व 2 के बयान तथा खाद्य विश्लेषक जोधपुर से प्राप्त जांच–रिपोर्ट संख्या एल एस/ 751/ एक्ट/ 2014/ 770 दिनांक 21.11.2014 से स्पष्ट हैं कि अप्रार्थी भागीरथ पुत्र श्री नारायणसिंह विश्नोई ,निवासी कांवो की बेरी, रोहिला तहसील धोरीमन्ना,जिला बाडमेर,मैसर्स मावा भट्टा चितलवाना सेवाडा रोड (नारायण का खेत) सुनारो का टांका,चितलवाना ने Sub Standard मीठा मावा का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2)का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। उपरोक्त प्रावधान को मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।अतः अप्रार्थी द्वारा खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2)के उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के कारण उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत् प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए 15000/-रूपये, अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये मात्र की राशि आरोपित की जाती है। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड- "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04--लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में नियमानुसार जमा करवाकर चालान की प्रति पेश करे। इस प्रकरण में मौका फर्द में बताया गया 10-12 किलोग्राम मीठा मावा अगर जब्त किया गया हो तो श्री दिलीपसिंह,खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर हाल पाली अपने स्तर पर नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.3.2019को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

S.d/ 29/3/19
(छगनलाल गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
जालोर

क्रमांक 230-233 दिनांक 29.3.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1.खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर।

2.अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर।

3.श्री दिलीप सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर हाल- कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली।

4.मालिक व विक्रेता भागीरथ पुत्र श्री नारायणसिंह विश्नोई,निवासी कांवो की ढाणी,महिला, तहसील धोरीमन्ना,जिला बाडमेर,मैसर्स मावा भट्टा चितलवाना सेवाडा रोड(लालाराम का खेत) सुनारों का टांका,चितलवाना,जिला जालोर

S.d/ 29/3/19
(छगनलाल गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2020.01.01 16:42:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: